इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 598] भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 नवम्बर 2010—अग्रहायण 3, शक 1932

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर, 2010

क्रमांक एफ–1–6/2009–आठ/मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) (जो इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट हैं) की धारा 23 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा मूल अधिनियम की प्रथम–अनुसूची में निम्न लिखित संशोधन करती हैं जो कि मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किए अनुसार पूर्व में दिनांक 9 सितम्बर, 2010 के मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), पृष्ठ 897,898,898(1), 898(2) मे प्रकाशित किए जा चुके है, अर्थात :–

संशोधन

मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, मद चार लोक सेवायान में, –

(1) उप मद (घ) में, –

(क) खण्ड (1) में, उप खण्ड (एक) तथा (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उप खण्ड किए जाएं, अर्थातः–

"(एक) 100 कि.मी. से अनधिक –

(क) वातानुकूलित /डीलक्स सेवा के लिए	–	रू. 250.00 प्रतिसीट प्रतिमास
(ख) एक्सप्रेस सेवा के लिए	–	रू. 200.00 प्रतिसीट प्रतिमास

(दो) उसके पश्चात प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग के लिए –

(क) वातानुकूलित /डीलक्स सेवा के लिए	–	रू. 20.00 प्रतिसीट प्रतिमास
(ख) एक्सप्रेस सेवा के लिए	–	रू. 15.00 प्रतिसीट प्रतिमास

ख) खण्ड (2) में, उप खण्ड (एक) तथा (दो) के स्थान पर निम्नलिखित उप खण्ड स्थापित किए जाएं अर्थात :–

"(एक) 100 कि.मी. से अनधिक	–	रू. 160.00 प्रतिसीट प्रतिमास
(दो) उसके पश्चात प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग के लिए	–	रू.10.00 प्रतिसीट प्रतिमास";

(ग) खण्ड (3) में, उपखंड (एक) तथा (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–खण्ड स्थापित किये जाएं, अर्थात् :–

"(एक) किसी पारस्परिक करार के अधीन–		
(क) वातानुकूलित /डीलक्स सेवा के लिए	–	प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग के लिए रू. 20.00 प्रतिसीट प्रतिमास
(ख) एक्सप्रेस सेवा के लिए	–	प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग के लिए रू. 15.00 प्रतिसीट प्रतिमास
(दो) पारस्परिक करार के बिना –		
(क) वातानुकूलित /डीलक्स सेवा के लिए	–	रू. 40.00 प्रतिसीट प्रतिमास+ प्रत्येक 10.00 कि.मी.या उसके भाग के लिए रू.40.00 प्रतिसीट प्रतिमास
(ख) एक्सप्रेस सेवा के लिए	–	रू. 40.00 प्रतिसीट प्रतिमास + प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग के लिए रू.15.00 प्रतिसीट प्रतिमास",

(घ) खण्ड (4) में, उप खंड (एक) तथा (दो) के स्थान पर निम्नलिखित उप खण्ड स्थापित किये जाए, अर्थात् :–

"(एक) किसी पारस्परिक करार के अधीन	–	प्रति 10 कि.मी. या उसके भाग के लिए रू. 10.00 प्रतिसीट प्रतिमास
(दो) पारस्परिक करार के बिना	–	रू. 40.00 प्रतिसीट प्रतिमास + प्रत्येक 10कि.मी. या उसके भाग के लिए रू.10.00 प्रतिसीट प्रतिमास";

(2) उप मद (ड.) के स्थान पर निम्न उप मद स्थापित की जाए, अर्थात्:–

"(ड.) ऐसे यान छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात है, और जो परिवहन/आरक्षित परिवहन यान के रूप में उपयोग में लाये जाने के लिए रखे गये हैं–

(एक) वातानुकूलित/डीलक्स बस के लिए	–	रू. 230.00 प्रतिसीट प्रतिमास
(दो) एक्सप्रेस/डीलक्स बस के लिए	–	रू. 180.00 प्रतिसीट प्रतिमास
(तीन) साधारण बस के लिए	–	–रू.160.00 प्रतिसीट प्रतिमास";

(3) ठेका गाडी (कान्ट्रेक्ट केरेज) की उप मद (च) में, खण्ड (7) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"(8)"ग्रामीण सेवा यान" से अभिप्रेत है ऐसे यान जिनकी बैठक क्षमता चालक एवं परिचालक को छोड़कर 6 से 21 यात्रियों की है तथा जो राज्य के कराधान प्राधिकारी द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा 72 या 87 के अधीन मंजूर किए गए अनुज्ञा–पत्र के अधीन केवल "ग्रामीण मार्ग" पर अनन्यरूप से प्रक्रम मंजिली गाड़ी के रूप में चलाए जा रहे है, चालक तथा परिचालक को छोड़कर प्रतिसीट के लिए जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात किया गया है,	–	60.00 प्रतिसीट प्रति तिमाही."

No. F 1-6/09/VIII In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991) (hereinafter referred to as the principal Act), the State Government, hereby, makes the following amendments of the First Schedule to the principal Act, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) Pages 897, 898, 898 (1) and 898 (2) dated the 9th September, 2010 as required by the proviso to sub-section (1) of section 23 of the principal Act, namely :-

AMENDMENTS

In the First Schedule to the principal Act, in item IV - Public Service Vehicle,-

(1) in sub-item (d),-

(a) in clause (1), for sub-clauses (i) and (ii), the following sub-clauses shall be substituted, namely :-

"(i) does not exceed 100 km-

(a) for air-conditioned/deluxe service	-	Rs. 250.00 per seat per month
(b) for express service	-	Rs. 200.00 per seat per month

(ii) thereafter for each 10 km. or part thereof

(a) for air conditioned/deluxe service	-	Rs. 20.00 per seat per month
(b) for express service	-	Rs. 15.00 per seat per month;"

(b) in clause (2), for sub-clauses (i) and (ii), the following sub-clauses shall be substituted, namely :-

"(i) does not exceed 100 Km.	-	Rs. 160.00 per seat per month

(ii) thereafter for each 10 Km. or part thereof	-	Rs. 10.00 per seat per month";

(c) in clause (3), for sub-clauses (i) and (ii), the following sub-clauses shall be substituted, namely :-

"(i) under a reciprocal Agreement-

(a) for air-conditioned/deluxe service	-	Rs. 20.00 per each 10 Km. or part thereof per seat per month.
(b) for express service	-	Rs. 15.00 for each 10Km. or part thereof per seat per month.

(ii) without a reciprocal Agreement-

(a) for air-conditioned/deluxe service	-	Rs. 40.00 per seat per month plus Rs. 40.00 for each 10 Km. or part thereof per seat per month.
(b) for express service	-	Rs. 40.00 per seat per month plus Rs. 15.00 for each 10 Km. or part thereof per seat per month";

(d) in clause (4), for sub-clauses (i) and (ii), the following sub-clauses shall be substituted, namely :-

"(i) under a reciprocal Agreement	-	Rs. 10.00 for each 10 Km. or part thereof per seat per month
(ii) without a reciprocal Agreement	-	Rs. 40.00 per seat per month plus Rs. 10.00 for each 10 Km. or part thereof per seat per month.";

(2) For sub-item (e), the following sub-item shall be substituted, namely :-

"(e) vehicle permitted to carry more than six passengers and kept for use as Transport/reserved Transport Vehicles-

(i)	for air-conditioned/deluxe bus	-	Rs. 230.00 per seat per month
(ii)	for Express/deluxe bus	-	Rs. 180.00 per seat per month
(iii)	for ordinary bus	-	160.00 per seat per month";

(3) in sub-item (f) of contract carriage, after clause (7), the following clause shall be added, namely :-

"(8)	"Rural Service Vehicle" means the vehicle the seating capacity of which is 6 to 21 passengers excluding the driver and conductor and plying as stage carriage exclusively on "Rural Routes" under the permit granted under section 72 or section 87 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) by the Taxation Authority of the State for each seat excluding the Driver and Conductor of which the vehicle is permitted to carry.	Rs. 60.00 per seat per quarter.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार,
दिलीप राज द्विवेदी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर, 2010

क्रमांक एफ–1–6/2009–आठ/मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा 66,95,96 एवं धारा 138 की उपधारा (2) के खण्ड (ड.) तथा धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 मे निम्नलिखित संशोधन करती है जो कि उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गये अनुसार पूर्व में दिनांक 13 अगस्त, 2010 को मध्यप्रदेश राजपत्र भाग–चार (ग) में पृष्ठ 443 से 446 तक में प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में, –

1. नियम 64 में, उपनियम (1) में, शब्द "सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी" के पश्चात्, शब्द "अथवा जिला परिवहन अधिकारी" अन्तः स्थापित किया जाए,

2. नियम 67 में, उपनियम (1) में, खण्ड (क) को खण्ड (क क) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खण्ड (क क) के पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(क) अधिनियम की धारा 72 एंव धारा 74 के अधीन जिले के भीतर मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी का अनुज्ञापत्र मंजूर करना, नामंजूर करना या उसका नवीकरण करना;"

3. नियम 77 में, उपनियम(1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाए,अर्थात–

"(1क) यात्रियों को सुरक्षित, निरापद तथा सुविधाजनक परिवहन सेवाएं सुनिश्चित करने की दृष्टि से अनुज्ञापत्र मंजूर करने वाला प्राधिकारी, किसी मंजिली गाड़ी का अनुज्ञापत्र मंजूर करते समय निम्नलिखित शर्तो का पालन करेगा, अर्थात :–

(एक) ऐसे यान को, जिसके विनिर्माण वर्ष से 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हों अन्तर्राज्यीय मार्ग पर चलने के लिये मंजिली गाड़ी का अनुज्ञापत्र मंजूर नहीं किया जाएगा,

(दो) ऐसे यान को, जिसके विनिर्माण वर्ष से 15 वर्ष पूर्ण हो चुके हों, राज्य के भीतर साधारण मार्ग पर चलने के लिये मंजिली गाड़ी का अनुज्ञापत्र मंजूर नहीं किया जाएगा.

(तीन) ऐसे यान को, जिसके विनिर्माण वर्ष से 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हों, किसी भी मार्ग पर चलने के लिये मंजिली गाड़ी का अनुज्ञापत्र मंजूर नहीं किया जाएगा,

(चार) एकल फेरे में 150 किलोमीटर या उससे अधिक लंबी दूरी के मार्ग पर निम्नलिखित श्रेणी के यानों को जिनकी बैठक क्षमता प्रत्येक के समक्ष दशाई गई है, चलाये जाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा :–

1.	डीलक्स/वातानुकूलित बस	चालक व परिचालक को छोड़कर, 35+2 से कम सीटें न हों,
2.	एक्प्रेस बस	चालक व परिचालक को छोड़कर, 45+2 से कम सीटें न हों,
3.	साधारण बस	चालक व परिचालक को छोड़कर, 50+2 से कम सीटें न हों,"

4. नियम 103 में, उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(1क) पारस्परिक परिवहन अनुबंध के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय मार्ग पर मंजिली गाड़ी के अनुज्ञापत्र पर चलाए जा रहे यान की दशा में, यान की विंडस्क्रीन के ऊपरी किनारे पर तथा यान की बॉडी के दोनों ओर बाहरी भाग पर सफेद रंग से पेंट की गई पट्टी पर नीले रंग से "मध्यप्रदेश परिवहन" लिखा जाएगा, पट्टी की चौडाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई में अक्षरों का आकार 8 सेंटीमीटर होगा और वे ऐसे होंगे कि 25 मीटर की दूरी से साफ--साफ पढ़े जा सकते हों,"

5. नियम 116 में, उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थातः–

"(1क) मंजिली गाड़ी सेवायान, जिनकी बैठक क्षमता चालक और परिचालक को छोड़कर 6 से लेकर 21 तक है, "ग्रामीण सेवायान" के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे और नियम 116 क के खण्ड (दो) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट "ग्रामीण मार्गों" पर ही चलाए जाएंगे, विंडस्क्रीन के ऊपरी किनारे पर तथा यान की बॉडी के दोनों ओर बाहरी भाग पर सफेद रंग से पेंट की गई पट्टी पर नीले रंग से "ग्रामीण सेवायान" लिखा जाएगा, पट्टी की चौडाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई में अक्षरों का आकार 8 सेंटीमीटर होगा और वे ऐसे होंगे कि 25 मीटर की दूरी से साफ–साफ पढ़े जा सकते हों,"

6. नियम 116 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(116 क) मध्यप्रदेश राज्य में मार्गो का वर्गीकरण और उन पर यान चलाए जाने का नियंत्रण –

(1) मार्गों का वर्गीकरण निम्नलिखित श्रेणियों में किया जाएगा :–

(एक) "साधारण मार्ग" से अभिप्रेत है, ऐसा मार्ग जो किसी ऐसे नगर या शहर को दूसरे ऐसे नगर या शहर से जोड़ता है, जो या तो तहसील मुख्यालय हो या नगरपालिक निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत के अधीन नगरीय क्षेत्र हो, ऐसे मार्ग का कोई भाग साधारण मार्ग भी कहलाएगा।

(दो) "ग्रामीण मार्ग" से अभिप्रेत है, ऐसा मार्ग जो किसी ग्राम या नगर को दूसरे ग्राम या नगर से जोड़ता है, किन्तु जिसमें साधारण मार्ग का 5 किलोमीटर से अधिक का भाग सम्मिलित नहीं है।

(2) "साधारण मार्ग" पर ऐसे यात्रीयान को, जिनकी बैठक क्षमता चालक एंव परिचालक को छोड़कर 22 से कम है, चलाए जाने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(3) "ग्रामीण मार्ग" पर ऐसे यात्रीयान को, जिनकी बैठक क्षमता चालक एंव परिचालक को छोड़कर 22 से कम है, चलाए जाने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा"।

7. नियम 204 में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(4) (क) राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति/अधिकारी/निकाय को बस स्टेण्ड के संधारण एवं उन्नयन के लिये एजेंसी घोषित कर सकेगी।

(ख) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति/अधिकारी/निकाय को ऐसे बस स्टेंडों का उपयोग करने वाले यानों के स्वामियों से शुल्क संगृहीत करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगी, शुल्क की दरें, राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, समय–समय पर विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी,"।

No. F-1-6/09/VIII In exercise of the powers conferred by section 65, 95, 96, clause (c) of sub-section (2) of section 138 and section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette Part IV (C) Page 443 to 446 dated the 13th August, 2010 as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. In rule 64, in sub-rule (1), after the words "Assistant Regional Transport Officer", the words "or District Transport Officer" shall be inserted.

2. In rule 67, in sub-rule (1), clause (a) shall be renumbered as clause (aa) and before clause (aa) as so renumbered, the following new clause shall be inserted, namely :-

"(a) to grant, refuse or renew a stage carriage or contract carriage permit within a district under section 72 and section 74 of the Act;".

3. In rule 77, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

"(1a) In order to ensure safe, secure and convenient transport services to the passengers, the permit granting authority while granting a stage carriage permit shall abide the following conditions, namely :-

(i) that no stage carriage permit shall be granted on interstate route to a vehicle which has completed 10 years from the manufacture year;

(ii) that no stage carriage permit shall be granted for ordinary route within the State to a vehicle which has completed 15 years from the year of manufacture;

(iii) that no stage carriage permit shall be granted for any route to the vehicle which has completed 20 years from the year of manufacture;

(iv) that for long distance route of 150 km or above in a single trip, the following category of vehicles with seating capacity shown against each shall be permitted to ply :-

1.	Deluxe/Air conditioned bus	not less than 35+2 seats, excluding driver and conductor
2.	Express bus	not less than 45+2 seats, excluding driver and conductor
3.	Ordinary bus	not less than 50+2 seats, excluding driver and conductor.".

4. In rule 103, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

"(1a) In case of a vehicle with stage carriage permit plying on interstate route under Reciprocal Transport Agreement, "Madhya Pradesh Parivahan" shall be painted in blue colour on a white strip on the upper edge of the wind screen and on the exterior of both sides of the body. The size of the strip shall be 10 cm wide and size of the letters shall be 8 cm in height and be such that it is clearly legible from a distance of 25 metres.".

5. In rule 116, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

"(1a) State carriage service vehicle having seating capacity 6 to 21 excluding the driver and conductor shall be classified as "Rural Service Vehicle" and shall ply exclusively on "Rural Routes" as specified under clause (ii) of rule 116 A. "Rural Service Vehicle" shall be painted on such vehicle in blue colour on a white strip on the upper edge of the wind screen and on the exterior of both sides of the body. The size of the strip shall be 10 cm wide and size of the letters shall be 8 cm in height and be such that it is clearly legible from a distance of 25 metres.".

6. After rule 116, the following rule shall be inserted, namely :-

"116 A. Classification of routes in the State of Madhya Pradesh and control of plying vehicles thereon.-

(1) The routes shall be classified in the following categories :-

(i) "ordinary route" means a route which connects one town or city with another town or city, which are either Tahsil

headquarter or urban area under the Municipal Corporation, Municipality or Nagar Panchayat. Any part of such route shall also be called "ordinary route";

(ii) "rural route" means a route which connects one village to town with another village or town but does not include portion of ordinary route exceeding 5 km.

(2) On "ordinary route" a passenger vehicle having seating capacity of less than 22 seats excluding driver and conductor shall not be permitted to ply.

(3) On "rural route" a passenger vehicle having seating capacity of less than 22 seats excluding driver and conductor shall be permitted to ply.".

7. In rule 204, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

"(4) (a) The State Government may, by notification in the official Gazette, declare any person/officer/body to be the agency for maintenance and upgradation of bus stand.

(b) The State Government may, by notification in the official Gazette, authorize any person/officer/body to collect fees from the vehicle owners using such bus stands. The rate of fees may be specified by the State Government from time to time by notification.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार,
दिलीप राज द्विवेदी, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010